



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं: NCST/DEV-5303/GJ/4/2025-RO-JPR/RU-I

दिनांक: 12.05.2026

जिला कलेक्टर एवं जिलाधिकारी,
जिला-वलसाड,
जिला सेवा सदन, धरमपुर रोड,
वलसाड-396001, गुजरात,
ई-मेल: collector-val@gujarat.gov.in

विषय: अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि पर जबरन कब्जा करने की कोशिश के सन्दर्भ में श्री धनसुखभाई रामजीभाई पटेल, निवासी- 4911 दमानी जम्पा जोगमोरदी फलिया, किला तालुका- पारडी, जिला-वलसाड, गुजरात से दिनांक 05.04.2025 का अभ्यावेदन।

संदर्भ: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 05.04.2025 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष-1, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 में दिनांक 20.05.2026 को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होने के लिए निर्देशित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(आर. के. दुबे/R.K. Dubey)
निदेशक/Director
दूरभाष: 011- 20819839

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री धनसुखभाई रामजीभाई पटेल,
निवासी- 4911 दमानी जम्पा जोगमोरदी फलिया,
किला तालुका- पारडी, जिला-वलसाड, गुजरात
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु आयोग
में आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

Regional Office :
Room No. 101 & 102, 1st Floor, Block A, Kendriya Sadan, Sector-10, Vidhyadhar Nagar, Jaipur, Rajasthan-302039
क. नं. 101-102, प्रथम तल, ब्लॉक-ए, केंद्रीय सदन, सेक्टर-10, विद्याधर नगर, जयपुर, राजस्थान-302039
Tel & Fax No. : 0141-2336462, 2235488, E-mail : ro-jaipur@ncst.nic.in

क्र. सं. : NCST/DEV-5303/GJ/4/2025-RO-JPR/RU-I

नोटिस

दिनांक 08/07/2025

जिलाधिकारी
जिला सेवा सदन, धरमपुर रोड,
कोटक महिंद्रा बैंक के सामने
सिचाई कॉलोनी, कपाड़िया चाल,
वलसाड, गुजरात- 396001

विषय: अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि पर जबरन कब्जा करने की कोशिश के सन्दर्भ में श्री धनसुखभाई रामजीभाई पटेल निवासी 4911 दमानी जम्मा जोगमोरी फलिया, किला तालुका- पारडी, जिला वलसाड, गुजरात से दिनांक 05.04.2025 का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री धनसुखभाई रामजीभाई पटेल से दिनांक 05/04/2025 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्ति होने के 15 दिन के अंदर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबंधित आरोपों/भामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबंधित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग को आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के सम्मक्ष उपस्थित होने के लिए आपको आमंत्रण जारी कर सकता है।

(अंकित कुमार सेन/Ankit Kumar Sen)
अनुसंधान अधिकारी, Research Officer
दूरभाष सं. : 0141-2236462
ई-मेल : ro-jaipur@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थः

श्री धनसुखभाई रामजीभाई पटेल
निवासी 4911 दमानी जम्मा जोगमोरी फलिया,
किला तालुका- पारडी, जिला वलसाड, गुजरात- 396125,
मो. नं. : 9909860303

दिनांक 08/07/25
338
Date 7/7/25

o/c